संख्या-1124/2026/752/22-2-2026-17(266)/2026

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 20 अगस्त, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी केदार सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह, निवासी जनपद-फतेहपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-13424/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-23.02.2026, दिनांक 07.04.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी केदार सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह (दिनांक 25.11.2025 तक 68 वर्ष 02 माह 04 दिन), कटोघन, थाना-खागा, जनपद-फतेहपुर का निवासी है। राजेन्द्र सिंह के मकान की छत के ऊपर तार ले जाने के विवाद को लेकर दिनांक 21.06.1986 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर तमंचा से गोली मारकर राजेन्द्र सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या- 215/1987 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर आदेश दिनांक 21.11.1987 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 21.12.2021 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.11.2025 तक अपरिहार 06 वर्ष, 11 माह 18 दिन तथा सपरिहार 07 वर्ष, 11 माह, 04 दिन की सजा भोगी गयी है।

दयायाचिका समिति की आख्यानुसार दिनांक 25.11.2025 तक बन्दी की आयु 68 वर्ष 02 माह एवं मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 25.11.2025 तक अपरिहार 06 वर्ष 11 माह 18 दिन तथा सपरिहार 07 वर्ष 11 माह. 04 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी केदार सिंह (बन्दी संख्या-490/2025) पुत्र श्री बाबू सिंह, निवासी जनपद-फतेहपुर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-1124/2026/752(1)/22-2-2026 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर।

2- पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर।

3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।